कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सीपत, जिला–बिलासपुर (छ0ग0)

परिशिष्ट – एक – ज्ञापन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क्र./890/बा.वि.परि../आ.बा.कार्य.सहा.नि./2026–27/ सीपत, दिनांक 25/11/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित सूची में अंकित आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए पद रिक्त होने के कारण पदपूर्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परियोजना कार्यालय सीपत के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2026 से 14.12.2026 तक ऑनलाईन **https://aww.e-bharti.in/** की वेबसाईड में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

//आवेदन पत्र आमंत्रित हेतु आं.बा. केन्द्रवार एवं पदवार सूची//

क्र.	आं.बा. केन्द्र का नाम	पंचायत का नाम	पदनाम	पद संख्या	रिमार्क
1	खाड़ा 01	खाड़ा	सहायिका	01	

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार मुख्य अर्हताएं हैं :–

1. आवेदिका की आयु ज्ञापन जारी दिनांक को 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)।
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।
3. **निवासी होने के प्रमाण में** (i) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर अद्यतन मतदाता सूची की छायाप्रति लगाई जावे। (ii) ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र, अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जा सकता है।
4. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिएः–
   (i) आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु कक्षा 08 वीं बोर्ड उत्तीर्ण।

टीपः– आं.बा. सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 08 वी उत्तीर्ण होगी। शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर आं.बा. सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उस केन्द्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी उस केन्द्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 05 वी उत्तीर्ण रखी जावेगी यदि किसी केन्द्र हेतु 5 वी उत्तीर्ण आवेदिका भी नही मिलती है तो सक्षम स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है।

5. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने, अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 08 वी तक अध्ययन करने पर तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकषुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।
   (I) **आवेदिका** विधवा महिला होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   (II) **परित्यक्ता** महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा। आवेदिका परित्यक्त होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा नगर पंचायत क्षेत्र होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश संलग्न करना होगा।
   (III) **तलाकशुदा** – महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(IV) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

6. सहायिका पद हेतु आवेदिका यदि 8 वी कक्षा ग्रेडिंग पद्धति से उत्तीर्ण की है तो आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त पूर्णांक/प्राप्तांक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होगें तो उसे प्राप्त ग्रेडिंग का न्यूनतम अंक प्रदान किया जावेगा।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त न हुई हो।
8. यदि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्य हो तो (प्रभावषील गरीबी रेखा सूची में) उसे सक्षम अधिकारी द्वारा (ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र) जिसमें गरीबी रेखा क्रमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा।
9. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु 8 वी या 10 वी की अंक सूची संलग्न करें।
10. यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
11. चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।
12. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धिारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
13. आवेदन पत्र **https://aww.e-bharti.in/** की वेबसाईड में जाकर अपनी पूरी जानकारी भरे एवं सभी दस्तावेजों में स्व प्रमाणित कर फाईल अपलोड करना अनिवार्य होगा।
14. आवेदन पत्र ऑनलाईन स्वीकार किये जायेगें, ऑफलाईन आवेदन परियोजना कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेगें।
15. ऑनलाईन सुविधा हेतु **https://aww.e-bharti.in/** की वेबसाईड में जाकर उपयोगकर्ता मैनुअल का उपयोग कर सकते है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा देय निर्धारित मासिक मानदेय/अतिरिक्त मानदेय दिया जावेगा।

(शेष समस्त कार्यवाही छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर के पत्र क्र./728/1098/2008/मबावि/50/रायपुर दिनांक 02.04.2008 के निर्देशानुसार संपन्न की जाऐंगी।)

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./891/बा.वि.परि./आ.बा.कार्य.सहा.नि./2026–27/ सीपत, दिनांक 25/11/2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एंव बाल विकास बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उप संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित विज्ञप्ति समस्त दैनिक समाचार पत्रों में अविलंब प्रकाशन की व्यवस्था करेंगे।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी की ओर सूचनार्थ।
5. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खाड़ा को सूचनार्थ। प्रेषित ज्ञापन की प्रति पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार एवं मुनादी की व्यवस्था हेतु सूचनार्थ।
6. पर्यवेक्षक, परिक्षेत्र दर्राभाठा एकीकृत बाल विकास परियोजना सीपत को सूचनार्थ। संबंधित आ.बा. कार्यकर्ता/सहायिका को व्याापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित करें।
7. संबंधित आं.बा.कार्यकर्ता/सहायिका सूचनार्थ। व्यापक प्रचार – प्रसार हेतु सर्व संबंधितो को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)